संख्या-11/2020/145/46-1-2020-20(03)/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2020

विषय- निर्गत शासनादेश संख्या-01/2020/1979/46-1-19-20(;3)/2019, दिनांक 13 जनवरी, 2020 की कतिपय कार्ययोजना की कार्यदायी संस्था के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के पत्र संख्या-5503/निर्माण/19-20, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-01/2020/1979/46-1-19-20(;3)/2019, दिनांक 13 जनवरी, 2020 के संलग्नक के क्रमांक-ख(2) एवं च(1) में उल्लिखित कार्ययोजना का कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था का निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर	निर्माण एजेन्सी का नाम	संशोधित निर्माण एजेन्सी का नाम
अ-	सेवरही			
1	रोड़ लाइट हेतु बड़े पोल एवं आमर्ड अण्डरग्राउण्ड केबिल सहित।	3.024	गन्ना विकास विभाग	सहायक अभियन्ता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
ब-	कटया-सादात			
2	समरसेबिल एवं पम्पहाउस का निर्माण बोरिंग सहित-2	12.80	गन्ना विकास विभाग	लघु सिंचाई विभाग, गाजीपुर (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

2. शासनादेश संख्या-01/2020/1979/46-1-19-20(;3)/2019, दिनांक 13 जनवरी, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-11/2020/145(1)/46-1-2020-20(03)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है